(128)

संख्या- 1570 /X-2-2011-12(13)/2011

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 **देहरादून : दिनांक 19 अगस्त, 2011**

विषयः-वन विभाग के अनुदान सं0-27 आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय वर्ष 2011-12 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में.

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के आदेश संख्या-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 तथा आपके कार्यालय के पत्रांक नि-1535/3-3(1) दिनांक 26 अप्रैल, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष में संचालित योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के अतिरिक्त संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार ₹ 5,40,00,000/- (₹ पांच करोड़ चालीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
2. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय.
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो.
4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्यके माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
5. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.

क्रमशः...2

6. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
7. व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस समबन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय.
8. मानक मदों के आहरण प्रणाली के समबन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
9. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
10. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
12. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय.

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखा शीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा.

3- ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-66 (NP)/XXVII(4)/2011, दिनांक 19 अगस्त, 2011 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं.

संलग्नक-यथोपरि.

भवदीय,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

क्रमशः...3

शासनादेश सं0- 1510 /X-2-2011-12(13)/2011 दिनांक 19 अगस्त, 2011 का संलग्नक-

(धनराशि ₹ हजार में)

क0 सं0	योजना का नाम / लेखा शीर्षक/मानक मद	आय-व्ययक प्रावधान	प्रथम निर्गत वित्तीय स्वीकृति	अवशेष बजट प्राविधान	वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
	2406- वानिकी तथा वन्य जीवन				
	01- वानिकी				
	105- वन उत्पाद				
6	04-00- लीसा				
	42- अन्य व्यय	270000	0	270000	54000
	योग-105-0400	270000	0	270000	54000
	कुल योग	270000	0	270000	54000

(वर्तमान स्वीकृति ₹ पांच करोड़ चालीस लाख मात्र)

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव